



महर्षि दयानन्द संस्कृती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्त समिति की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2024
कार्यवृत्त

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में शनिवार दिनांक 24.02.2024 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित वित्त समिति की 43वीं बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही।

- | | | |
|-----|--|------------|
| 01. | प्रो० अगिल कुमार शुक्ला, कुलपति | अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. भूपील कुमार निरसू
सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, अजमेर।
(शासन सचिव, उच्च शिक्षा की ओर से मनोनित सदस्य) | सदस्य |
| 03. | प्रो० शिव दयाल सिंह
(प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य) | सदस्य |
| 04. | प्रतिभा चूड़ावत
कोषाधिकारी, अजमेर
(वित्त विभाग, राज. सरकार के द्वारा मनोनित संभागीय आयुक्त,
अजमेर की ओर से उपस्थित) | सदस्य |
| 05. | पद्मिनी सिंह, वित्त नियन्त्रक | सदस्य सचिव |

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसमें मदवार निर्णय निम्नानुसार लिए गये।

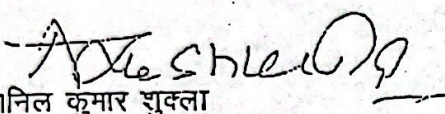
मद संख्या	मद का विवरण	निर्णय
1	वित्त समिति की 42वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना। (परिशिष्ट-1)	उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2	वित्त समिति की 42वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन एवं पुष्टि करना। (परिशिष्ट-2)	प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर पुष्टि की गई।
3	वित्त समिति की 41वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन एवं पुष्टि करना। (परिशिष्ट-3)	प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर पुष्टि की गई।
4	वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों का एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों का (स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों सहित) परीक्षण कर अनुशंसा करना। (परिशिष्ट-4)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों का अनुमोदन कर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।
5	राज्य सूचना आयोग, जयपुर में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता (श्रीमति अम्बिका देशाई) को शुल्क राशि ₹0 2000/- के स्थान पर राशि ₹0 4000/- की वृद्धि प्रति प्रकरण किये जाने पर विचार करना। (परिशिष्ट-5)	अनुमोदित कर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।
6	सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड को वर्तमान में स्वीकृत इम्प्रेस्ट राशि ₹0 8000/- से वृद्धि करने पर विचार। (परिशिष्ट-6)	विश्वविद्यालय के बजट नियम 1997 के नियम 49 एवं 50 के अध्याधीन शर्तों पर सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड को इम्प्रेस्ट राशि ₹0 8000/- से बढ़ाकर ₹0 15000/- करने हेतु आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

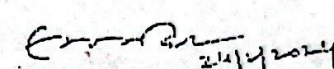
प्रो. य. बगई मद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

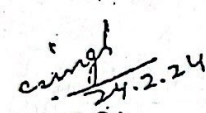
1. उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन, सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड, उपकुलसचिव - शैक्षणिक प्रथम एवं द्वितीय तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालयों में आगन्तुकों हेतु अत्यावश्यक जलपान व्यय के लिए यद्यपि प्रस्ताव 3000/- की मांग की गई है तथापि इस क्रम में विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को केवल राशि रु. 1000/- ही स्वीकृत है प्रस्ताव पर विचार करना।

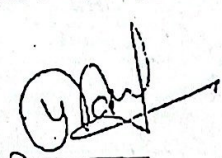
1. वित्त समिति द्वारा प्रदेश के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में इस संबंध में प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया है।

अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन कर सभिति की बैठक सम्पन्न हुई।


प्रो० अनिल कुमार शुक्ला
(कुलपति एवं अध्यक्ष)


डॉ. सुशील कुमार विस्तू
सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, अजमेर
(शासन सचिव, उच्च शिक्षा की ओर से मनोनित सदस्य)


प्रो० शिव दयाल सिंह
(प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य)


प्रतिभा चूड़ावत
कोषाधिकारी, अजमेर
(वित्त विभाग, राज. सरकार के द्वारा
मनोनित संभागीय आयुक्त)


पद्मिनी सिंह
वित्त नियन्त्रक एवं सदस्य सचिव